दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)
वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 03/2017

विषय : नजूल–II भूमि पर आयकर के भुगतान के संदर्भ में।

दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 22(1) में निहित उपबंध के अनुसार केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से और ऐसे नियम एवं शर्तों, जिन पर सरकार और प्राधिकरण के बीच सहमति प्रकट हुई है, दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के उपबंधों के अनुसार विकास के प्रयोजनार्थ (जो इसके पश्चात् 'नजूल–भूमि' के रूप में जाना जाएगा) संघ में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण विकसित अथवा विकसित भूमि का निपटान करेगा।

2. धारा 22 (4) में आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि उपधारा (1) के तहत प्राधिकरण के अधिकार वाली नजूल–भूमि की तत्पश्चात् किसी भी समय केंद्रीय सरकार को आवश्यकता होती है तो प्राधिकरण सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उसे सरकार तथा प्राधिकरण के बीच तय नियम व शर्तों पर सरकार के पक्ष में प्रतिस्थापित करेगा

इस प्रकार नजूल भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार में देने के पश्चात् भी इस भूमि का मालिकाना हक (टाइटिल) केन्द्र सरकार के पास ही रहेगा और प्राधिकरण ऐसी भूमि के मामले में केन्द्रीय सरकार की एजेंसी के तौर पर कार्य करेगी।

3. आयकर अधिनियम 1957 की धारा–196 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय किसी भी राशि से कर की कटौती नहीं की जाएगी।

4. चूंकि, प्राधिकरण सरकार की ओर से नजूल–II भूमि पर क्षति एवं अन्य प्रभारों का संकलन करता है, ये दिल्ली विकास प्राधिकरण की आय नहीं है इसलिए इसे दि.वि.प्रा. की आय एवं व्यय में शामिल नहीं किया जाता है।

5. चूंकि, नजूल–II, भूमि जिसमें वह भूमि शामिल है जो आई.जी.एल. अथवा पैट्रोलियम कंपनियों को लाइसेंस शुल्क के आधार पर आबंटित की गई है, के लिए दि.वि.प्रा. को किया जाने वाला कोई भी भुगतान, सरकार को किया गया भुगतान होता है, जिस पर आयकर अधिनियम 1961 की धार–196 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार टी डी एस नहीं काटा जाएगा।

6. तत्काल संदर्भ और स्पष्टता हेतु मैसर्स एस. के. मेहता एण्ड कम्पनी चार्टटेड अकाउंटेंट और दि.वि.प्रा. के कर परामर्शदाताओं के सुझावों की प्रति संलग्न है।

इसे दि.वि.प्रा. के वित्त सदस्य के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफ ई 98(18)/2015/डीडीए/50 दिनांक : 24/01/2017

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य/प्रधान आयुक्त, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ,
2. सभी विभागाध्यक्ष,
3. निदेशक (भूमि लागत निर्धारण)/वित्त सलाहकार (आवास) (एच)/निदेशक (वित्त),
4. सभी उप मुख्य लेखाधिकारी,
5. प्रबंधक (एल एम ए)/वरिष्ठ लेखा अधिकारी (खेल)।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)